"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 नवम्बर 2010—कार्तिक 12, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2010

आदेश

क्र. 12084/2827/21-ब/छ. ग./2010.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य (2002 ए.आई.आर. (एस.सी.डब्लू.) 1706=(2002)4 एस.सी.सी. 247) में पारित अंतरित आदेश क्र. 244 दि. 28-4-2009 के द्वारा तथा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन के आधार पर गठित एक सदस्यीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ई. पद्मनाभन आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दि. 17-7-2009 की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए तथा उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि. 4-5-2010, 26-7-2009 तथा 2-8-2010 के अनुपालन में, न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने हेतु, छत्तीसगढ़ के राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के भत्तों के संबंध में, छ. ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 को और आगे आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राज्य शासन निम्नलिखित आदेश जारी करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) कंडिका 8 में वर्णित "चिकित्सा भत्ता" में निम्नानुसार कंडिका 8 (ए) जोड़ी जाय—

8 (ए) "सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को प्रतिमाह 1500 (पन्द्रह सौ) रुपये तथा फैमिली पेन्शनर को प्रतिमाह रुपये 750/- (रु. सात सौ पचास) की दर से चिकित्सा भत्ता की पात्रता दि. 01 जनवरी 2006 से होगी."

(2) कंडिका 18 में वर्णित डोमेस्टिक हेल्प एलाउंस में रुपये "1250/- (रु. एक हजार दो सौ पचास) प्रतिमाह" के स्थान पर रुपये "2500/- (रु. दो हजार पांच सौ) प्रतिमाह" प्रतिस्थापित किया जाता है तथा फैमिली पेन्शनर हेतु उक्त कंडिका के अन्त में कंडिका 18 (ए)

के रूप में जोड़ा जाता है कि—

18 (ए)—"फैमिली पेन्शनर को प्रतिमाह रुपये 1000/- (एक हजार रु.) की दर से डोमेस्टिक हेल्प एलाउंस की पात्रता दि. 01 जनवरी 2006 से होगी."

उक्त संबंध में वित्त विभाग की स्वीकृति यू.ओ. क्रमांक 361/31611 वित्त विभाग/ब-3/2010 दिनांक 21-10-2010 द्वारा प्रदान की गई है.

Raipur, the 3rd November 2010

ORDER

No. 12084/2827/21-B/C. G./2010.—Hon'ble Supreme Court of India, in an interlocutory application No. 244 in W.P. (C) No. 1022/1989 All India Judges Association and others Vs. Union of India and others (2002 AIR SCW 1706-(2002)4 SCC 247) passed an order on 28-04-2009 and thereby constituted one man commission headed by Mr. Justice E. Padmanabhan (Rtd.) to revise the pay scales and allowances of judicial officers of all the states of India as per recommendation of First National Judicial Pay Commission (Shetty Pay Commission) and accepting the recommendations of aforesaid one man commission submitted on 17-07-2009 Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 4-5-2010, 26-07-2010 and 02-08-2010 directed all the State Governments to issue necessary orders to implement the aforesaid E. Padmanabhan Commission Report related to retired Judicial Officers. In compliance of Hon'ble Supreme Court's aforesaid order, State Government hereby makes following further amendment in Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department order No. 13040/21-B/C. G./06 dated 31-10-2006 in respect of allowances of retired Judicial Officers of the State of Chhattisgarh, namely :—

AMENDMENT

In the said order,—

(1) In para 8 "Medical-Allowances" the following shall be added as para 8 (A),—

"8 (A) Retired judicial officers are entitled for Rs. 1500/- (Rs. one thousand five hundred) and Family pentioners are entitled for Rs. 750/- (Rs. seven hundred fifty) per month as medical allowance with effect from 01st January, 2006.

(2) In para 18, "Domestic help Allowance" in place of word and figure "Rs. 1250" the word and figure "Rs. 2500" shall be substituted with effect from 01 January, 2006 and following shall be added as para 18 (A)—

"18 (A) Family Pensioners are entitled for Rs. 1000/- (Rs. One thousand) per month as domestic help allowance with effect 01st January, 2006."

This sanction has been accorded by the Finance Department, Government of Chhattisgarh vide U.O.No. 361/31611 वित्त विभाग/ब-3/2010 dated 21-10-2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.